## सं. 3/13/2008-स्था.(वेतन-II)

#### भारत सरकार

# कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\* \* \*

नई दिल्ली ; दिनांक : | | नवम्बर, 2008

# कार्यालय जापन

विषय :- सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित व्यक्तियों तथा जिन व्यक्तियों का वेतन, सिविल प्राक्कलनों के नामे में डालने योग्य है, के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 का लागू होना ।

सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित व्यक्तियों को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 2(2) (vii) के द्वारा इसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। इन व्यक्तियों के संबंध में संशोधित वेतन नियमावली का लाभ प्रदान किए जाने तथा संशोधित वेतनमान में इनका वेतन निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया। राष्ट्रपति यह निर्णय करते हैं कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 2(2) (vii) में आंशिक संशोधन करते हुए, इन नियमों के प्रावधान ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होंगे, जो इसके बाद दिए गए आदेशों के अध्यधीन 01 जनवरी, 2006 से पूर्व पुनर्नियोजित थे। यह निर्णय संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को छोड़कर केन्द्रीय सिविल विभागों में पुनर्नियोजित उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे वे किसी सिविल पद अथवा सशस्त्र बलों से पेंशन और/अथवा उपदान अथवा किसी अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधा, उदाहरणार्थ अंशदायी निधि आदि सहित अथवा उसके बिना सेवानिवृत्त हुए हैं।

2 (i) एक पुनर्नियोजित सरकारी कर्मचारी, जो पहली जनवरी, 2006 से संशोधित वेतनमान द्वारा अधिशासित होना चुनता है अथवा चुना है, समझा गया है, का आरंभिक वेतन निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा अर्थात् :-

केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, यदि वह -

- (i) एक ऐसा सरकारी कर्मचारी है, "जो पेंशन, उपदान अथवा किसी अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधा के बिना सेवानिवृत्त होता है" और
- (ii) एक सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी हैं, "जो पेंशन अथवा कोई अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधा प्राप्त करता है, किन्तु पुनर्नियोजन होने पर वेतन निर्धारण करते समय उनकी उपेक्षा की गई (उनको गिना नहीं गया)"

- 2 (ii) पेंशन अथवा किसी अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधा सहित सेवानिवृत्त होकर पुनर्नियोजित होने वाले सरकारी सेवक का तथा जिसका वेतन, पुनर्नियोजन पर इन प्रसुविधाओं पर ध्यान देते हुए अथवा उसके एक भाग की उपेक्षा करते हुए निर्धारित किया गया था, और जिसने पहली जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन द्वारा अधिशासित होना चुना है अथवा चुना गया समझा गया है, का आरंभिक वेतन, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 7 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नियत किया जाएगा । इस प्रकार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त पुनर्नियोजित सरकारी सेवक, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यथा संशोधित पूर्व संशोधित वेतनमानों में अनुमत्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं अर्जित करता रहेगा, जिनके संबंध में पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किए गए हैं । तथापि, संशोधित पंशन (पेंशन का उपेक्षणीय भाग, जहाँ कहीं लागू हो, को छोड़कर) के समतुल्य राशि दिनांक 1-1-2006 से अथवा बाद से, पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन के निर्धारण के संबंध में सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप उसके वेतन में से काट (कम कर) दी जाएगी । वार्षिक वेतनवृद्धि की अनुमित केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 10 में निर्धारित तरीके से समस्त वेतन राशि पर यह मानकर दी जाएगी, जैसे कि यदि पेंशन की कटौती न की गई होती ।
- 3. पुनर्नियोजित व्यक्ति, जो इन आदेशों के अनुसार अपना संशोधित वेतनमान चुनने के पात्र हो गए हैं, वे इन आदेशों के जारी होने के तीन माह के भीतर अथवा जिन मामलों में उनके द्वारा धारित पदों के मौजूदा वेतनमान इन आदेशों के जारी होने के बाद संशोधित हुए हैं, वे वेतनमान संशोधित होने वाले आदेशों/अधिसूचनाओं के जारी होने के तीन माह के भीतर केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 6 में निर्धारित तरीके से अपना विकल्प देंगे।
- 4. जहाँ कोई पुनर्नियोजित सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन अर्जित करना चुनता है और दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद की किसी तारीख से संशोधित वेतनमान में लाया जाता है, तो संशोधित वेतनमान में किसी बाद की तारीख से उसका वेतन केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
- 5. इसके अतिरिक्त, पुनर्नियोजन पर वेतन आहरण जमा सकल पेंशन मौजूदा सीमा 26,000/- से बढ़ाकर 80,000/-रुपए कर दी गई है, जो कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के अंतर्गत भारत सरकार के सचिव को देय अधिकतम वेतन हैं ।
- 6. राष्ट्रपति जी ने कमीशन प्रदत्त सेवा अधिकारियों तथा 55 वर्ष की आयु होने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'क' पदधारित सिविल अधिकारियों के मामले में पेंशन के उपेक्षणीय भाग 1500/-रुपए को भी बढ़ाकर 4000/-रुपए कर दिया है । अतः पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों का वेतन निर्धारण करते समय उपेक्षित (इंग्नोर) किए जाने योग्य सिविल तथा सैन्य पेंशन की मौजूदा सीमा को, ऐसे पेंशनभोगियों के मामले में लागू करना समास कर दिया जाएगा, जो 01-1-2006 को अथवा उसके बाद पुनर्नियोजित हुए हैं । जो व्यक्ति पहले से पुनर्नियोजन में हैं, उनका वेतन दिनांक 01-1-2006 से इन आदेशों के आधार पर निर्धारित किया जाए, बशर्त कि वे इन आदेशों के तहत आने का विकल्प चुनते हैं । यदि वे ऐसा विकल्प चुनते हैं, तो उनकी सेवा शर्तों को नए सिरे से इस प्रकार

निर्धारित किया जाएगा, जैसे कि वे दिनांक 01-1-2006 से पहली बार पुनर्नियोजित हुए हैं । विकल्प का प्रयोग इन आदेशों के जारी होने के तीन माह के भीतर लिखित में किया जाए । एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा ।

- 7. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
- 8. ये आदेश 01-1-2006 से लागू होंगे।

(रोली सिंह) विदेशक

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)।

पितिलिपि :- निदेशक (एन.आई.सी.), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को, इस कार्यालय जापन को इस विभाग की वेबसाइट पर "स्थापना (वेतन)" उप शीर्ष 'वेतन-नियमावली' के तहत डालने हेतु ।

प्रतियाँ निम्नलिखित को भी प्रेषित हैं :-

- 1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और उनके नियंत्रणाधीन राज्यों को (400 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 2. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
- 3. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/ मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव ।
- 4. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से.प्रभाग)/जे.सी.ए./प्रशासन अनुभाग ।
- 5. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय ।
- 6. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र।
- 7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद् (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
- 8. जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद्/विभागीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
- 9. सभी अधिकारी/अनुभाग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
- 10. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।
- 11. 50 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

(रोली सिंह) निदेशक

## No. 3/13/2008-Estt. (Pay II)

#### **Government of India**

# Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension Department of Personnel & Training

\*\*\*\*\*\*

11th November 2008

New Delhi, the October, 2008.

## **OFFICE MEMORANDUM**

Subject:

Applicability of CCS (RP) Rules, 2008 to persons re-employed in Government Service after retirement and whose pay is debitable to Civil Estimates.

Persons re-employed in Government service after retirement have been excluded from the purview of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 vide Rule 2 (2)(vii) thereof. The question of extension of the benefit of the revised pay rules to these persons and the procedure to be followed for fixing their pay in the revised scales has been considered by the Government. The President is pleased to decide that, in partial modification of the Rule 2 (2)(vii) of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, the provisions of these rules shall apply to such persons also who were in re-employment on 1<sup>st</sup> January, 2006, subject to the orders hereinafter contained. This decision will cover all Government servants re-employed in Central Civil Departments other than those employed on contract whether they have retired with or without a pension and/or gratuity or any other retirement benefits, e.g. contributory fund etc. from a civil post or from the Armed Forces.

2(I). The initial pay of a re-employed Government servant who elects or is deemed to have elected to be governed by the revised pay scale from the  $\mathbf{1}^{\text{st}}$  day of January, 2006 shall be fixed in the following manner namely -

According to the provisions of Rule 7 of the C.C.S. (R.P.) Rules, 2008, if he is-

- a Government servant who retired without receiving a pension, gratuity or any other retirement benefit and
- (ii) a retired Government servant who received pension or any other retirement benefits but which were ignored while fixing pay on re-employment."

- The initial pay of a re-employed Government servant who retired with a 2 (11). pension or any other retirement benefit and whose pay on re-employment was fixed with reference to these benefits or ignoring a part thereof, and who elects or is deemed to have elected to be governed by the revised scales from the 1st day of January, 2006 shall be fixed in accordance with the provisions contained in Rule 7 of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008. In addition to the pay so fixed, the re-employed Government servant would continue to draw the retirement benefits he was permitted to draw in the pre-revised scales, as modified based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission, orders in respect of which have been issued separately by the Department of Pension & Pensioners Welfare. However, an amount equivalent to the revised pension (excluding the ignorable portion of pension, wherever permissible), effective from 1.1.2006 or after, shall be deducted from his pay in accordance with the general policy of the Government on fixation of pay of re-employed pensioners. Annual increments will be allowed in the manner laid down in Rule 10 of Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, on the entire amount of pay as if pension had not been deducted.
- 3. Re-employed persons who become eligible to elect revised scales in accordance with these orders should exercise their option in the manner laid down in Rule 6 of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, within three months of the date of issue of these orders or in cases where the existing scales of pay of the posts held by them are revised subsequent to the issue of these orders, within three months of the date of orders/notification revising the scales.
- 4. Where a re-employed Government servant elects to draw his pay in the existing scale and is brought over to revised scale from a date later than the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, his pay from the later date in the revised scale shall be fixed in accordance with the provisions of Rule 11 of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008.
- 5. Further, the existing ceiling of Rs. 26000/- for drawal of pay plus gross pension on re-employment is enhanced to Rs. 80,000/-, the maximum salary payable to the Secretary to the Government of India under Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008.
- 6. The President is also pleased to enhance the ignorable part of pension from Rs. 1500/- to Rs. 4000/- (Rupees four thousand) in the case of Commissioned

Service officers and civil officers holding Group 'A' posts who retire before attaining the age of 55 years. The existing limits of civil and military pensions to be ignored in fixing the pay of re-employed pensioners will, therefore, cease to be applicable to cases of such pensioners as are re-employed on or after 1.1.2006. In the case of persons who are already on re-employment, the pay may be fixed on the basis of these orders with effect from 1.1.2006, provided they opt to come under these orders. If they so opt, their terms would be determined afresh as if they have been re-employed for the first time from 1.1.2006. The option should be exercised in writing within three months from the date of issue of these orders. The option once exercised is final.

- 7. In so far as the persons serving in the Indian Audit & Accounts Department are concerned, these orders are being issued after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.
- 8. These orders shall take effect from 1.1.2006.

(Roli Singh)

Director to the Government of India.

To

#### All Ministries/Department (As per standard list attached)

<u>Copy to</u>: Director (NIC), Department of Personnel & Training, to upload the O.M. on this Department's website under the Head "Establishment (Pay)", Sub-Head "Pay Rules".

#### Copies also forwarded to:

- 1. The Comptroller & Auditor General of India and all States under his control. (With 400 spare copies)
- 2. Controller General of Accounts/Controller of Accounts, Ministry of Finance.
- 3. Secretaries to UPSC/Supreme Court of India/Election Commission/Lok Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Vice President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission.
- 4. Department of Personnel & Training (AIS Division)/JCA/Admn. Section.
- 5. Additional Secretary (Union Territories), Ministry of Home Affairs.
- 6. All State Governments and Union Territories.
- 7. Secretary, National Council (Staff Side), 13-C, Feroz Shah Road, New Delhi
- 8. All Members of the Staff Side of the National Council of JCM/Departmental Council.
- 9. All Officers/Sections of the Department of Personnel & Training/Department of Administrative Reforms & Public Grievances/Department of Pension & Pensioners' Welfare.
- 10. Ministry of Finance, Department of Expenditure
- 11. 50 spare copies.

(Roli Singh)

Director to the Government of India.